"पंजाब केसरी भवन''

(छत्तीसगढ़ पंजाबी सनातन सभा, रायपुर द्वारा संचालित)
ग्राम–जोरा, एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने, पो.ऑ.–कृषक नगर,
रायपुर–492012 (छ.ग.) फोन नं. 91110–09771

भवन आरक्षण हेतु नियम व शर्ते

1. आवेदन के साथ निर्धारित किराये की संपूर्ण राशि एडवांस देना होगा साथ ही जमानत राशि (विद्युत शुल्क, जीएसटी व अन्य शासकीय कर हेतु) अतिरिक्त जमा करनी होगी, जो कि संपूर्ण बुकिंग राशि के 100 प्रतिशत होगी। संपूर्ण राशि डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर के द्वारा स्वीकृत होगी। चेक या नगद स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन स्वीकृत होने पर **बुकिंग राशि के बराबर (100 प्रतिशत) सुरक्षा राशि** अग्रिम जमा करनी होगी।
3. शासन द्वारा निर्धारित दर पर **जीएसटी व अन्य कर**, के लिए अतिरिक्त राशि देना होगा। एवं आरक्षण रद्द कराने पर आपके द्वारा दिया हुआ **जीएसटी व अन्य कर**, वापस नही किया जायेगा।
4. बिजली बिल 13/– प्रति युनिट की दर से अतिरिक्त राशि देनी होगी। **उदाहरण के लिये (मीटर रिडिंग का अंतर X Multi Factor 60 X 13/- पर युनिट)**
5. जेनरेटर की व्यवस्था आरक्षणकर्ता को स्वयं के खर्च पर करना होगा।
6. भवन का आरक्षण **प्रथम दिन सुबह 10:00 बजे से दुसरे दिन सुबह 8:00 बजे** तक के लिये होगा।
7. भवन के प्रत्येक कमरा में निर्धारित बेड संख्या से अधिकतम दो लोग ज्यादा रह सकते है इससे ज्यादा नही।
8. भवन आरक्षण के दौरान भवन के किसी हिस्से या सामान की क्षति होती है तो उसकी भरपाई आरक्षणकर्ता के द्वारा की जावेगी।
9. भवन परिसर में मात्र **कार्मिशियल सिलेण्डर** का उपयोग करना होगा।
10. भवन परिसर में **पान स्टांल** लगाना पूर्णतः वर्जित है।
11. भवन में सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर डी.जे./उच्च ध्वनि गति वाला **सिस्टम रात 10:00 बजे तक** ही मान्य होगा
12. भवन में अतिरिक्त लाइट एवं साज–सज्जा हेतु **अस्थायी कनेक्शन** स्वयं के खर्च पर लेना अनिवार्य होगा।
13. भवन परिसर में यदि कोई पार्टी के दौरान श**राब (मदिरा)** का सेवन करना या कराना चाहता है तो उसके लिए **छ.ग. शासन** से विधिवत अनुमति लेना **अनिवार्य होगा**। एवं जिसकी प्रतिलिपि भवन व्यवस्थापक को पार्टी के पूर्व देना होगा।
14. गार्डन में किसी तरह का आग सबंधी/तंदूर लगाना **पूर्णतः वर्जित** है ऐसा करते पाये जाने पर **10000/– रूपये तक जुर्माना** लिया जायेगा।
15. **कैटर्स से सिक्यूरिटी डिपोजिट 3000/– लिया जायेगा। यदि सुबह 10 बजे से पहले सफाई–धुलाई** नही करता है तो राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. **शामियाना टेण्ट हाउस से 3000/– सिक्यूरिटी राशि लिया जायेगा। यदि सुबह 10 बजे से पहले** सामान उठाकर एवं सफाई करके नही जाता है तो राशि जब्त कर ली जायेगी।
17. **फूल एवं सजावट से 500/– सिक्यूरिटी राशि** लिया जायेगा। यदि सुबह 10 बजे से पहले साफ–सफाई करके नही जाता है तो राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. आरक्षण का अधिकार भवन संचालन समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जो बिना कारण बताए भवन के आरक्षण

को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है।

19. आरक्षण अपरिवर्तनशील होगा अर्थात आरक्षणकर्ता का नाम, भवन का उपयोग व आरक्षण तिथि में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण रद्द माना जावेगा।
20. भवन, प्रथम आओ, प्रथम पाओ के नीति के अनुसार बुक होगा। जिस व्यक्ति का आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ पहले प्राप्त होगा उसे पहली प्राथमिकता दी जावेगी।
21. आरक्षणकर्ता उन्ही स्थानों का उपयोग करेगा जिस स्थान का आरक्षण स्वीकृत हुआ है।
22. भवन की दीवारों पर कील ठोकना, टेप चिपकाना, दीवारों पर लिखना पूर्णतः वर्जित है।
23. भवन के उपयोग के दौरान भवन के किसी हिस्से या सामान की यदि क्षति होती है तो उसका मूल्याकंन व्यवस्थापक द्वारा किया जावेगा जो आरक्षणकर्ता द्वारा देय होगा।
24. भवन मे जो सुविधा उपलब्ध करायी गई हैं उसमें किसी प्रकार की आकस्मिक तकनीकी खराबी आ जाने पर संचालन समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. आरक्षणकर्ता द्वारा अपने सामान की सुरक्षा स्वयं की जाएगी, किसी भी नुकसान के लिए संचालन समिति जिम्मेदार नहीं होगी। आरक्षण अवधि के दौरान किसी भी कारण से आर्थिक हानि, चोरी, दुर्घटना या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आरक्षणकर्ता की होगी।
26. भवन परिसर में कोई भी अमर्यादित, गैरकानूनी एवं असामाजिक कार्य करना वर्जित है। यदि व्यवस्थापक की चेतावनी के बाद भी ऐसे कार्य जारी रहे तो संचालन समिति को संपूर्ण भवन खाली कराने का अधिकार होगा। विशेष परिस्थितियों में पुलिस को शिकायत की जा सकती है।
29. भवन संचालन समिति द्वारा निर्धारित किये गये स्थानों पर ही आरक्षणकर्ता द्वारा फूल की सजावट, विद्युत की सजावट, शामियाना आदि की स्थापना एवं आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगें। किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु व्यवस्थापक से अग्रिम लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
30. आरक्षणकर्ता ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग विधिपूर्वक शासन से अनुमति प्राप्त करके ही करें। किसी भी प्रकार की इस संदर्भ में कानूनी अवहेलना के फलस्वरूप शासन द्वारा की गई दण्डात्मक कार्यवाही के लिए, आरक्षणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। भवन परिसर के भीतर फटाका फोड़ना वर्जित है।
31. आरक्षणकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि कूड़ा–कचरा निर्धारित स्थान पर फेंके एवं पान–तम्बाखू या सिगरेट से सेवन से भवन को नुकसान न पहुॅचे। भवन में लगे पेड़–पौधों को क्षति न पहुॅचे, इसका विशेष ध्यान रखें।
32. आरक्षणकर्ता द्वारा विद्युत सजावट प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा करवाना अनिवार्य है तथा अतिरिक्त बिजली भार की आवश्यकता होने पर उसे विद्युत विभाग से अस्थाई कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। विद्युत कनेक्शन शासकीय नियमों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।किसी प्रकार की क्षति या दुर्घटना की जवाबदारी आरक्षणकर्ता की होगी।
33. आवेदक को आई.एस.नं.1646/1997 कोड ऑफ फायर सेफ्टी बिल्डिंग/कोड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रावधानों के तहत समुचित व्यवस्था स्वयं करनी होगीं।
34. वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थान पर ही करनी होगी एवं सुरक्षाकर्मी (गार्ड) की व्यवस्था आपके द्वारा होगी।
35. जल ही जीवन है, हम सबके लिए अमूल्य है इसका दुरूपयोग न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
36. विवाह मुहुर्त तिथियों में किसी अन्य कार्यक्रमों हेतु बुकिंग नहीं ली जावेगी।
37. ‘‘छ.ग. पजांबी सनातन सभा‘‘ के सामाजिक कार्यक्रमों की तिथियों में किसी अन्य कार्यक्रम के लिए भवन उपलब्ध नही होगा।
38. आरक्षणकर्ता भवन के व्यवस्थापक या किसी अन्य कर्मचारी से नगद राशि का लेन–देन न करें। यदि किसी मद में नगद लेन–देन जरूरी हो तो उसकी रसीद अवस्य प्राप्त करें। बिना रसीद के किसी प्रकार के लेन–देन के लिए संचालन समिति जिम्मेदार नहीं होगी।
39. ‘‘छ.ग. पंजाबी सनातन सभा‘‘ के आजीवन सदस्य जिन्होने भवन बुकिंग के एक वर्ष पूर्व तक सभा की

आजीवन सदस्यता प्राप्त की हो उन्हें भवन की किराये राशि में 15 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। किन्तु सुरक्षा राशि में कोई छूट नहीं होगीं।

40. छ.ग. पंजाबी सनातन सभा के सदस्यो के लिए भवन 9 माह पूर्व व अन्य समाज के लिये 6 माह पूर्व आरक्षित किया जायेगा।

41. आरक्षणकर्ता को भवन आरक्षण अवधि के दौरान नियमावली में उल्लेखित नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा।

42. किसी भी प्रकार के विवाद एवं समस्या की स्थिति में संचालन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

43. किसी किस्म के न्यायालयीन विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा।

44. भवन परिसर में आरक्षणकर्ता को भवन आरक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा भवन में सभी तरह के सहयोगी मजदूरों की सुरक्षा की कानूनी (Legal) जिम्मेदारी आदि स्वयं आरक्षणकर्ता की होगी।

आपका कार्यक्रम शुभ व मंगलमय हो /**हस्ताक्षर आवेदक**

आरक्षण निरस्त संबंधी नियम

आवेदक किसी कारणवस भवन की बुकिंग निरस्त करवाता है तो सर्वप्रथम उन्हे लिखित आवेदन देना अतिआवश्यक है तत्पश्चात बोर्ड मिटिंग के निर्णयानुसार निम्न राशि काटकर बाकी राशि लौटाई जायेगी–

01. 90 दिन पूर्व निरस्त करने पर 25 प्रतिशत → काटकर
02. 60 दिन पूर्व निरस्त करने पर 50 प्रतिशत → काटकर
03. 30 दिन पूर्व निरस्त करने पर 75 प्रतिशत → काटकर

<u>नोट</u> : यदि आरक्षणकर्ता के परिवार में कोई दुखद घटना हो जाती है और वह भवन की बुकिंग निरस्त करना चाहता है तो आवेदन करने पर उसे भवन संचालन समिति के निर्णय पर 90 प्रतिशत तक राशि लौटाई जा सकती है। इस संबंध में अंतिम फैसला संचालन समिति का होगा।

संपूर्ण भवन में उपलब्ध सुविधाएँ

- ओपन लॉन ⟶ 19000 वर्गफुट
- बैंकेट हॉल स्टेज सहित **AC** ⟶ 5600 वर्गफुट
- ओपन हॉल ⟶ 2500 वर्गफुट
- बड़ा किचन स्टोर सहित ⟶ 3000 वर्गफुट
- छोटा किचन स्टोर सहित ⟶ 1000 वर्गफुट

ब्लाक''A'' :

(A) 18 ACकमरे(60 बेड) + 01 सूट रूम AC(2 बेड) = 62 बेड

(B) 01AC मिनी हॉल ⟶ 600 वर्गफुट

ब्लाक'' B'' :

(A) 18 ACकमरे(60 बेड) + 01 सूट रूम AC(2 बेड) = 62 बेड

(B) 01AC मिनी हॉल ⟶ 600 वर्गफुट

हस्ताक्षर आवेदक